

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायीं पटरी) के किमी 112.000 (सुल्तानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी 115.588 तक, किमी 122.413 से किमी 129.293 तक एवं किमी 147.725 से किमी 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच० डी० डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/पाइपलाइन/153911/2022)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-297/81-2-2022-800(319)/2022 दिनांक 26 सितम्बर 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूट टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 26-09-2022 10:33:21

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)
सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग,
राज्य सरकार, लखनऊ